


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज

27⁰⁷/₂₂

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुं. न्यायालय में बार-बार आवाज लगावने के बावजूद सोम 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वकील ने कि कोई उपस्थित नहीं हुआ। मूलवाद अदम हाजरी एवं अदम पैली में खरिज हो चुका है। मूलवाद का निस्कारण हो जाने से सा. पत्र 212RT Act का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सा. पत्र 212RT Act की कार्यवाही शेष की जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ होकर रजिस्टर में कम की जाती है। निम्न मूलवाद है।


SDO